

समाहरणालय, मधेपुरा
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)
पत्रांक...../सा0सु0को0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा,
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज।

मधेपुरा, दिनांक 1-03-2014

विषय:-

चालू वित्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य योजनान्तर्गत बिहार निःशक्तता पेंशन योजना में (सामान्य घटक) के पेंशनधारियों को नगद पेंशन भुगतान हेतु चतुर्थ किस्त कुल रु0-25,00,000=00 (पच्चीस लाख) रुपये मात्र का उपावंटन।

प्रसंग:-

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार-पटना के पत्र सं0-01/ सा0सु0 बजट-बिहार निःशक्तता-09/2013-स0क0-128 पटना, दिनांक-26/02/2014


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 एवं 7729 दिनांक-26.07.2012 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यदेश सं0-344 दिनांक-25.02.2014 के आलोक में सामान्य घटक के पेंशनधारियों को पेंशन के नगद भुगतान हेतु चतुर्थ किस्त संलग्न विवरणी के स्तंभ-5 के अनुसार कुल रु0 25,00,000=00 (पच्चीस लाख) रुपये मात्र का उपावंटित किया जाता है।

- 2- उपावंटित राशि माँग सं0-51, मुख्य शीर्ष- 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-102-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन उप-शीर्ष-0104-बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड संख्या-P-2235601020104 तथा स्कीम कोड-WEL-5503 से विकलनीय होगा।
- 3- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे उपावंटित राशि कोषागार से निकासी कर शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- 4- जिस मद में राशि उपावंटित की गई है उसे उसी मद में व्यय किया जायगा।
- 5- उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- 6- उपावंटित राशि का विवरणी संलग्न है।

उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन



जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक- 136²/सा0सु0को0, दिनांक- 1 मार्च, 2014

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।


जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

वित्तीय वर्ष-2013-14 में बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (सामान्य धटक) के तहत पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (31 06) मद में प्रखण्डवार/निकायवार चतुर्थ किस्त उपावंटन तालिका:-

क्र०	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पेंशनधारियों की संख्या	पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान में उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	574	1984200	0	1984200
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	115	507000	0	507000
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	101	194400	99300	293700
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धैलाढ़	175	615000	0	615000
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	218	392400	392600	785000
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	452	813600	506400	1320000
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुस्लीगंज	190	342000	242000	584000
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिथुनगंज	708	2797800	0	2797800
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	296	760400	0	760400
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	148	546300	100000	646300
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	462	1131600	150000	1281600
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा	375	675000	575000	1250000
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	256	510800	200200	711000
14	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा	85	180000	126000	306000
15	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुस्लीगंज	80	179500	108500	288000
	कुल योग :-	4235	11630000	2500000	14130000

मो० (पच्चीस लाख) रुपये मात्र।

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।